

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

रायपुर, दिनांक २१/०३/२०१८

क्र. ३७७/१५६७/२०१७/स्था./चार :- वित्त विभाग के आदेश क्र. १३८६/८०४/२०१६/स्था./चार, दिनांक ०८.१२.२०१६ द्वारा वित्त निर्देश २५/२०१२ के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ के अपरीक्षित नवीन मद में शामिल प्रस्तावों के परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रशासकीय विभाग (वित्त विभाग) के अंतर्गत गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नानुसार समिति का गठन करता है :-

प्रमुख सचिव, वित्त
संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन
संयुक्त सचिव, वित्त (स्थापना शाखा)
संयुक्त सचिव, वित्त (बजट शाखा-१)

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य सचिव
सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(शारदा वर्मा)
संयुक्त सचिव

पृष्ठा.क्र. ३७८/१५६७/२०१७/स्था./चार

रायपुर, दिनांक २१/०३/२०१८

प्रतिलिपि :-

१. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय/वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
२. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
३. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग (स्थापना/बजट शाखा-१), मंत्रालय, नया रायपुर
४. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
५. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ को वित्त विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
६. डॉ.ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
७. समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
८. आदेश फोल्डर

—————की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित


२१/३
संयुक्त सचिव